संख्या-56/2018-2266 ई-2/तेरह-2018-80/2014

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 16 जुलाई,2018

विषयः- मेसर्स जुबिलेन्ट लाइफ साइंसेज लि0, गजरौला, अमरोहा को पी0डी0-2 अनुज्ञापन के अन्तर्गत प्रदेश की अन्य आसवनियों से एस0डी0एस0 क्रय कर उससे एथनाल का निर्माण कर पेट्रोलियम डिपुओं को आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-14/दो-प्रा0डी0-11, दिनांक 13 मई,2018 तथा पत्र संख्या-जी-23/दो-प्रा0डी0-11, दिनांक 12 जून,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मे0 जुबिलेन्ट लाइफ साइंसेज लि0, गजरौला, अमरोहा को 6400 किलोली0 अर्थात् 64.00 लाख लीटर एस0डी0एस0 क्रय कर एथनाल निर्माण की अनुमति जो शासनादेश दिनांक 04-12-2017 द्वारा प्रदान की गई है, को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया जाता है कि भविष्य में आसवनी द्वारा पेट्रोलियम डिपुओं को एथनाल आपूर्ति किये जाने हेतु एथनाल का उतना ही टेण्ड्र डाला जायेगा, जितना आसवनी स्वयं उत्पादन कर सके। शासनादेश दिनांक 04-12-2017 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in